भारत का संविधान सिध्दांत और व्यवहार Notes Chapter 2 Class 11 Bharat Ka Samvidhan Sidhant Aur Vavhar भारतीय संविधान में अधिकार UP Board

अधिकारः—

– अधिकार वे 'हक' है। जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है।

अधिकारों का घोषणा पत्रः—

– अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता हैं ऐसी सूची को 'अधिकारों का घोषणा पत्र' कहते है। जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारः—

– भारत के स्वतंत्रता—आन्दोलन के दौरान क्रांतिकारियों/स्वतंत्रता नायको द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय—समय पर उठाई जाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44 वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया।

सामान्य अधिकारः—

– वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में ससंद कानून बना कर के परिवर्तन कर सकती है।

मौलिक अधिकारः—

– वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गये है। इनकी गांरटी एवं सुरक्षा स्वंय संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता।

भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित छः मौलिक अधिकार निम्न प्रकार है—

1) समानता का अधिकार (14—18 अनुच्छेद)
2) स्वतंत्रता का अधिकार (19—22 अनुच्छेद)

https://www.evidyarthi.in

3) शोषण के विरूद्ध अधिकार (23–24 अनुच्छेद)

4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25–28 अनुच्छेद)

5) संस्कृति एवं शिक्षा संबधि (29–30 अनुच्छेद)

6) संवैधानिक उपचारों का अधिकर (अनुच्छेद 32)

1. समता का अधिकार–

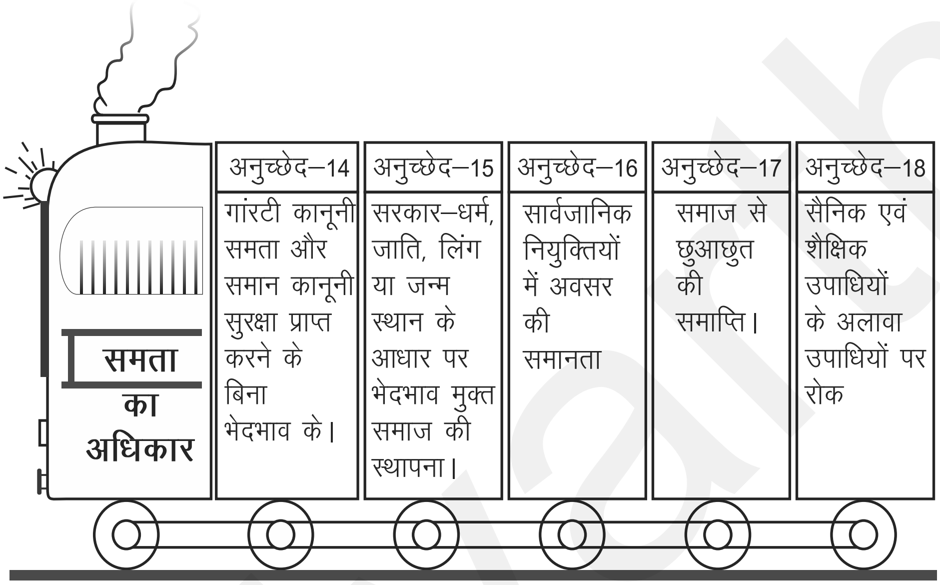

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)–

स्वतंत्रता–'भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने की।

अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को सरंक्षण प्रदान करना।

https://www.evidyarthi.in

कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 2 1(क)– RTE, 2002, 86 वां संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकर, वर्ष 6 से 14 आयु मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।

किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना।

नोट– 93वें संशोधन (2002) द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 211 (ए) में जोड़ा गया ।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)–

i) **अनुच्छेद 23,** मानव व्यापार (तस्करी) और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध– जब भारत आजाद हुआ, तब भारत के कई भागों में दासता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे, परन्तु मजदूरी नहीं देते थे, विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था।

ii) **अनुच्छेद 24,** खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही।

iii) **अनुच्छेद 24** के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जायेगा, जैसे–खादानों में, कारखानों में इत्यादि।

https://www.evidyarthi.in

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार–

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29–30)–

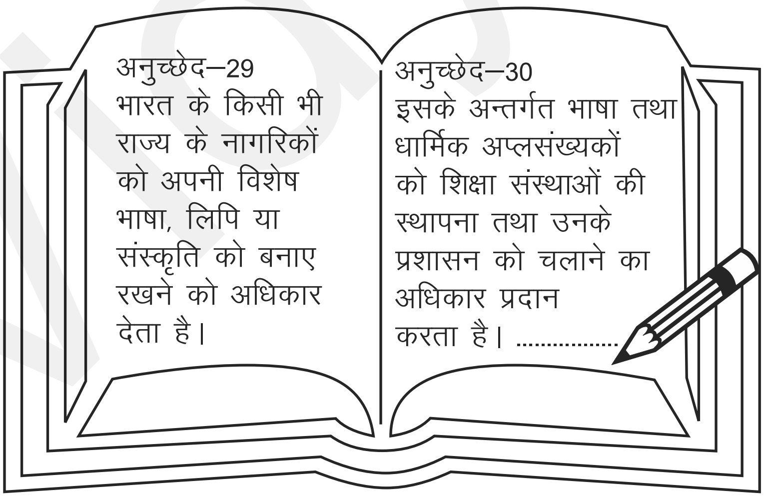

evidyarthi
https://www.evidyarthi.in

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

संविधान के जनक, डॉ. अम्बेडकर ने इस अधिकार को ''संविधान का हृदय और आत्मा'' की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत न्यायलय कई विशेष आदेश जारी करते है जिन्हें रिट कहते हैं। जो निम्न प्रकार हैं–

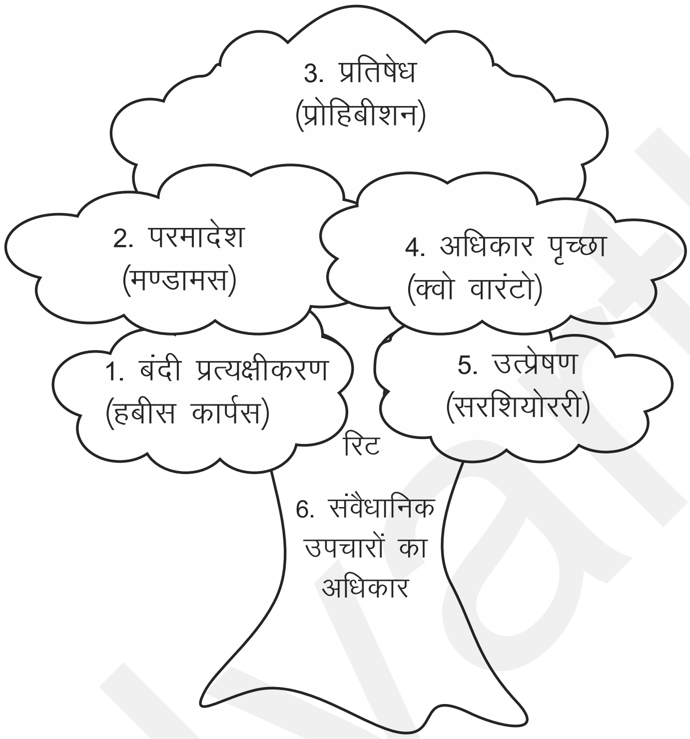

दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसम्बर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृहयुद्ध के खतरे से जूझ रहा था, दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है।

दक्षिण–अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकारः–

i) गरिमा का अधिकार।

ii) निजता का अधिकार।

iii) श्रम–संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार।

iv) स्वास्थ्य पर्यावरण और पर्यावरण सरंक्षण का अधिकार।

v) समुचित आवास का अधिकार।

vi) स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।

vii) बाल अधिकार।

https://www.evidyarthi.in

viii) बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार।

ix) सूचना प्राप्त करने का अधिकार ।

x) सांस्कृतिक, धार्मिक ओर भाषाई समुदायों का अधिकार।

राज्य के नीति–निर्देशक तत्व क्या है?

(क) स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए है, जिनको न्यायलय में चुनौती नहीं दी जा सकती है परन्तु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है, करें।

(ख) प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में तीन प्रमुख बातें हैं–

i) वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप मे हमें स्वीकार करने चाहिए।

ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।

iii) वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्यः–

– 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों की सूची (अनुच्छेद–51(क)) का समावेश किया गया है। इसके अन्तर्गत नागरिकों के दस मौलिक कर्त्तव्य निम्न हैंः–

i) संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

ii) राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना।,

iii) भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।

iv) राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना।

v) नागरिकों मे भाईचारे का निर्माण करना।

vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली पंरपरा के महत्व को समझे और उसको बनाए रखें।

https://www.evidyarthi.in

vii) प्राकृतिक पर्यावरण का सरंक्षण करें।

viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद ओर ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें।

x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें।

नीति–निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंधः–

i) दोनों एक दूसरें के पूरक हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं।

ii) मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को सरंक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते है।

नीति–निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अन्तरः–

– मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परन्तु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अर्थात् मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायलय में जा सकते हैं परन्तु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायलय नहीं जा सकते।

– मौलिक अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्तियों और निर्देशक सिद्धान्तों का समबन्ध समाज से है।

– मौलिक अधिकार प्राप्त किये जा चुके हैं जबकि निर्देशक सिद्धान्तों को अभी लागू नहीं किया गया।

https://www.evidyarthi.in

प्रश्नावली

एक अंकीय प्रश्नः—

1. अधिकारों का घोषणा—पत्र किसे कहते है?
2. किसी एक व्यक्ति के नागरिक अधिकारों को अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा है। इस स्थिति में खतरे से सुरक्षा कौन प्रदान करेगा?
3. मोतीलाल नेहरू समिति क्या थी?
4. सामान्य अधिकार किसे कहते है?
5. मौलिक (मूल) अधिकारो से क्या अभिप्राय है?
6. दक्षिण—अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ?
7. दुनियां में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार किन नागरिकों को मिले हैं?
8. क्या मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार है?
9. भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं?
10. कौन—सा अनुच्छेद कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नही देखा जा सकता।
11. निवारक नजरबंदी किसे कहते है?
12. परमादेश का क्या अर्थ है?
13. अधिकार पृच्छा से आप क्या समझते हैं?
14. उत्प्रेषण रिट क्या होती है?
15. संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है?

दो अंकीय प्रश्नः—

1. भारतीय संविधान में वर्णित छः अधिकारों को मूल (मौलिक) की संज्ञा क्यो दी गई है?
2. मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलम्बित किया जा सकता है?
3. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?
4. बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते है?
5. बन्दी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
6. शोषण के विरूद्ध अधिकार के अन्तर्गत कौन—से दो प्रावधान है?

https://www.evidyarthi.in

7. मौलिक अधिकारों के दो महत्व लिखिए।
8. कानूनी अधिकार कौन–से होते हैं?
9. क्या नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत है?
10. मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर लिखिए।
11. मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद केन्द्र में कौन–सा अधिकार था?

चार अंकीय प्रश्नः–

1. हमें मौलिक अधिकारो की आवश्यकता क्यों है?
2. भारतीय संविधान में कब किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों को जोड़ा गया? किन्हीं तीन कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए।
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर टिपण्णी लिखिए।
4. हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की चार विशेषताएं लिखिए।
5. अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं मे से किन्हीं चार को समझाइए।
6. नीति निर्देशक तत्व क्या है? इनकी तीन प्रमुख बातें लिखिए।

पांच अंकीय प्रश्नः–

1. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए–

   ''संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है लेकिन उन्हें न्यायलय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायलय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायलय सरकार को आदेश दें। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले।''

   क) संविधान में वर्णित नीति निर्देशकों को किसका पूरक माना गया है?

   ख) क्या नीति–निर्देशक तत्वों के उल्लघंन पर आप न्यायलय जा सकते है?

https://www.evidyarthi.in

ग) राज्यों को नीति–निर्देशक तत्वों को लागू करवाने में कौन–सी शक्ति काम करती है?

घ) नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों में अन्तर स्पष्ट करो?

छः अंकीय प्रश्नः–

1. भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।
2. समानता के अधिकार को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझाइए–

   क) कानून के समक्ष समानता।

   ख) भेदभाव को निषेध (मनाही)

   ग) रोजगार (नौकरियों) में अवसर की समानता।
3. धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक या आधार माना जाता हे। उपर्युक्त कथन को तर्क सहित सिद्ध कीजिए।
4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' की संज्ञा दी है। इसके अन्तर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेशों (रिटों) को सविस्तार समझाइए।
5. नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों एवं नीतियों को सविस्तार समझाइए
6. मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

https://www.evidyarthi.in

उत्तरमाला

एक अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. संविधान द्वार प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते है।
2. सरकार।
3. 1928 में, स्वतंत्रता सेनानी मोती लाल नेहरू द्वारा अंग्रेजों से भारतीयों के लिए अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की, उसे नेहरू समिति कहा गया।
4. वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किये जाते है।
5. क्योंकि यह व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायक होते है।
6. दिसम्बर 1996 में
7. दक्षिण–अफ्रीका के नागरिकों को।
8. नहीं, यह पूर्ण नहीं हैं कुछ विशेष परिस्थितियों (आपातकाल) में निलंम्बित भी किया जा सकता है।
9. भाग तीन में।
10. अनुच्छेद–16 (4)।
11. किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर–कानूनी कार्य करने वाला है, इसे ही निवारक नजरबंदी कहते है।
12. अर्थ है–हम आदेश देते हैं। निचली अदालत अथवा किसी व्यक्ति को अपना कर्त्तव्य करने के लिए मजबूर करना।
13. यह आदेश (रिट) उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है, जिसने गलत तौर पर पद हासिल कर लिया हो।
14. उत्प्रेषण रिट का अर्थ है– हमें सूचना दी जाएं। इसमें निचली अदालत को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालत को देने का आदेश होता है।
15. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को।

https://www.evidyarthi.in

दो अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. यह अधिकार वर्षो से चले आ रहे मूल्यों एवं सिद्धान्तों का प्रतीक है। इनके द्वारा व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है।
2. मौलिक अधिकार, विशेषकर अनुच्छेद–19 आपातकाल की स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं।
3. इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों के रूप में लिखकर, प्रेस द्वारा छपवाकर, तस्वीरों के द्वारा या कियाी अन्य माध्यम से लागों तक पहुंचाना।
4. जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों द्वारा गरीबों से पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवाना। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया।
5. न्यायालय द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय/जज के सामने उपस्थित होने/करने का आदेश दिया जाना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है।
6. (i) अनुच्छेद–23 राज्य पर सकारात्मक जिम्मेदारी डालता है कि वह व्यक्तियों के व्यापार, तथा बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाए।

   (ii) अनुच्छेद–14, राज्य 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खदानों, कारखानों एवं खतरनाक काम करवाने पर रोक लगाए।
7. (i) नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

   (ii) भारतीय लोकतंत्र का आधार हैं।
8. कानूनी अधिकार वे अधिकार होते है जिन्हें किसी देश के संविधान ने सूचीबद्ध कर रखा है। तथा जिसे उल्लघंन करने पर उल्लंघनकर्त्ता को सजा मिलती है।
9. नहीं, नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है। इनके उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते।
10. अन्तर– (i) मौलिक अधिकार न्याय संगत है। नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है।

    (ii) मौलिक अधिकारों का स्वरूप निषेधकारी है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है।
11. सम्पत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक–अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया।

https://www.evidyarthi.in

चार अंकीय प्रश्नों के उत्तरः–

1. मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व, आर्थिक, सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं।

2. 1976 में, 42 वें संविधान संशोधन द्वारा, देश की रक्षा करना, देश में भाईचारा बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा करना, संविधान का सम्मान।

3. 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। सदस्य–एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा मानवधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो सदस्य होते हैं। कार्य–शिकायते सुनना, जांच करना तथा पीड़ित को राहत पहुंचाना।

4. मौलिक अधिकारों की विशेषताएं– (i) विस्तृत एवं व्यापक–संविधान के भाग तीन की 24 धाराओं में वर्णित। (ii) मौलिक अधिकार बिना भेदभाव के सभी के लिए। (iii) मौलिक अधिकार असीमित नहीं है–आपातकाल में इन पर प्रतिबंध लग सकता है। (iv) न्याय संगत है–किसी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर वह न्यायालय जा सकता है।

5. अनुच्छेद–19
   (i) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
   (ii) संघ/समिति बनाने की स्वतंत्रता।
   (iii) सभा करने की स्वतंत्रता।
   (iv) भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
   (v) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। (कोई चार)

6. मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण एवं राज्य के उत्थान के जरूरी नियमों को 'राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त' के रूप में जाना जाता है। ये इन तत्वों के पीछे नैतिक शक्ति काम करती है। तीन प्रमुख बातें–
   (i) वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए।
   (ii) वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए।
   (iii) वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

https://www.evidyarthi.in

पांच अंकीय प्रश्नों के उत्तर–

1. (क) नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार का पूरक माना गया है।

   (ख) नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं

   (ग) नैतिक शक्ति अथवा जनमत की शक्ति।

   (घ) (i) मौलिक अधिकार न्याय संगत है। नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं है।

   (ii) मौलिक अधिकार कुछ कार्यों को करने पर प्रतिबंध लगाते हें जबकि निर्देशक तत्व कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

   (iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति से तो निर्देशक तत्व समाज (राज्य) से संबंधित हैं। (कोई दो)।

छः अंकीय प्रश्नों के सांकेतिक उत्तर–

1. मौलिक अधिकार– (i) समता, (ii) स्वतंत्रता, (iii) शोषण के विरूद्ध अधिकार। (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (v) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

2. (i) कानून की नजर में गरीब एवं अमीर एक समान हैं। कानून की धाराएं सभी पर एक समान लागू होती है।

   (ii) रंग, जाति, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की मनाही।

   (iii) रोजगार (नौकरियों) में अवसर–समान योग्यता, समान परीक्षा में बैठने के मौके (अवसर)।

3. एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण होता है। उसको मत, धर्म, विचार मानने की आजादी होती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक कहते है। (i) किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की आजादीं (ii) सर्वजन हिताय–धार्मिक समुदाय बनाने की आजादी। (iii) धर्म विशेष के लिए कर (TAX) न देने की आजादी। (iv) सरकारी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी।

4. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ . अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। रिट–(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (ii) परमादेश (iii) प्रतिषेध (iv) अधिकार पृच्छा (v) उत्प्रेषण।

https://www.evidyarthi.in

5. उद्देश्य – लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय।

– जीवन स्तर ऊँचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण।

– अन्तर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा।

नीतियां – समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन।

6. (i) मौलिक अधिकार न्याय योग है। नीति निर्देशक तत्व नहीं।

(ii) मौलिक अधिकार निषेधात्मक जबकि नीति निर्देश तत्व सकारात्मक है।

(iii) मौलिक अधिकार व्यक्ति से जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज से संबंधित है।

(iv) मौलिक अधिकार का क्षेत्र सीमित है। नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र विस्तृत है।

(v) मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र है। निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र है आदि।

(vi) मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके है। निर्देशक तत्वों को लागू करवाना है।

https://www.evidyarthi.in